randum waiving the payment of Central Excise duty leviable on the parts of electric storage batteries used within the factory in which they are produced for further manufacture of electric storage batteries during the period commencing on the 16th March, 1976 and ending with the 24th February, 1978.

(iv) G,S.R. 312 (E) published in Gazette of India dated the 1st April, 1983 together with an explanatory memorandum making certain amendments to Notification No. 89/80-CE dated the 19th June, 1980 and 45/83-CE dated the 1st March, 1983. [Placed in Library, See No. LT-6334/83].

(6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Bombay, for the year ended the 31st December, 1982, along with the Audited Accounts, under sub-section (2) of section 32 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. [Placed in Library, See No. LT-6335/83].

(7) A statement (Hindi and English versions) on the results of the market loans floated on the 30th March, 1983. [Placed in Library, See No. LT-6336/83].

REVIEWS ON ANNUAL REPORTS OF COFFEE, BOARD, BANGALORE FOR 1981-82, INDIAN COUNCIL OF ARBITRATION NEW DELHI FOR 1981-82 PROCESSED FOODS EXPORT FORMATION COUNCIL NEW DELHI FOR 1981-82 AND STATEMENT FOR DELAY.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA) : I beg to lay on the Table :—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versinns) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 1981-82.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Govenment on the working of the Coffee Board, Bangalore, for the year 1981-82. [Placed in Library, See No. LT-6337/83].

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and Engiish versions) of the Indian Council of Arbitration, New Delhi, for the year 1981-82, along with Audited. Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Council, of Arbitration, New Delhi, for the year 1981-82. [Placed in Library, See No. LT-6338/83].

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Processed Foods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1981-82, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Processed Food Export Promotion Council New Delhi, for the year 1981-82.

(4) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above. [Placed in Library, See No. LT-6339/83].

Committee on Public Undertakings
Fifty-ninth Report

SHRI MADHUSUDAN VAIRALE (Akola) : I beg to present the Fifty-ninth Report (Hindi and English) versions) of the Committee on Public Undertakings on 'Action Taken by Government on the recommendations contained in their Forty-eighth Report on India Tourism Development Corporation Limited.

12.09 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported death of three more labourers in Bhatti mines near Delhi.

MR. SPEAKER : Now, we shall take up Calling Attention.

Shri Ram Gopal Reddy-absent.
Shri G.M. Banatwala-absent.
Shri Ram Vilash Paswan.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, काल-एटेन्शन के बारे में मुझे एक बात कहनी है। इस में मेरा भी नाम है। हमारा नोटिस ऐसा था जिस में दिल्ली की जो भाटी माइन्ज़ हैं वे भी शामिल हो जाय। लेकिन मेरे नोटिस में संशोधन कर दिया गया है। अब उन खदानों की बात होने वाली है जो दिल्ली में नहीं है, फरीदाबाद में है। मंत्री महोदय का सारा वक्तव्य ऐसा है जो फरीदाबाद के बारे में है। दिल्ली की भाटी माइन्ज़ में गत 45 दिनों में 15 लोग मरे हैं।

MR. SPEAKER : We are talking about accidents in those mines recently.

उन को अगर कोई लेना चाहे तो दोबारा लेलेंगे। मैंने देखा है - इन दोनों में एक्सीडेन्ट हुआ है, इस लिए इनको लिया है। दूसरों को भी ले सकते हैं, उस में कोई बाधा नहीं आयेगी, उसको भी करवा दूंगा,

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मंत्री महोदय भाटी माइन्ज़ के बारे में भी जवाब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो नहीं है, आपको दोबारा दिलवा दूंगा। उस में जुडीशियल एन्कवायरी होगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जुडीशियल एन्कवायरी के बाद लोग मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वहां अभी मरे हैं। मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं है। मैंने हमेशा वाजपेयी जी आप को निमन्त्रण दिया है, कोई और सब्जैक्ट चाहें तो उस पर भी बहस करवा दूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : एक ही दिन हो जाता, एक साथ हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन नहीं हुआ। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोज़ाबाद) : मैंने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से आ कर पहले बात कर लें।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप मेरे मोशन पर कुछ ..

MR. SPEAKER : Not allowed.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : I consider it. If I think it fit, I allow. Otherwise disallow it.

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (हाजीपुर) : मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा प्वाएंट आफ आर्डर है ?

श्री हरिकेश बहादुर : हमारा प्वाएंट आफ आर्डर यह है कि दिल्ली की भाटी माइन्स में जो एक्सीडेन्ट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने

** Not recorded.

एक नोटिस दिया था। उसके बारे में कहा गया था कि मंत्री जी आ कर के सुम्रो मोटो स्टेटमेंट करेंगे। मंत्री जी के सुओ मोटो स्टेटमेंट के बाद भी एक्सीडेन्ट्स हुए। लेकिन ग्राज जो कालिंग ग्रटेंशन ग्राया है उसमें उनको कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ एक जगह की बात कही गई है।

ग्रध्यक्ष महोदय: मैंने वाजपेयी जी से कह दिया है कि दुबारा करवा देंगे।

(व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय : दुबारा करवा देंगे, इसमें कौन-सा तुफान उठ गया है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ग्रौर प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

"दिल्ली के निकट भाटी खानों के क्षेत्र में एक खान के धस जाने पर तीन और मजदूरों की मृत्यु हो जाने का समाचार।"

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : Government's attention has been drawn to a news item in the Section of the Press regarding death of 3 persons in Bhatti Bajri Mines on 4th April, 1983. According to investigations made by the officers of Directorate General of Mines safety on 5-4-1983 the accident occurred in Manager Bajri Mines in the Faridabad District in Haryana on 4th April, 1983 and not in Bhatti Mines in the Union Territory of Delhi. The actual number of persons killed is 2 and not 3 as reported in the Press.

2. There are three Bajri and Silica Sand Mines (Anangpur, Pali and Manager) in Faridabad District which are being operated by private parties who have been granted lease by the State Government. The inspections carried out by Directorate General of Mines Safety have revealed that working conditions have not been satisfactory in all these mines. Because of apprehension of urgent and immediate danger to life and safety of workers in these mines, Directorate General of Mines Safety has issued orders under section 22 of the Mines Act in July 1976 in the case of Manager Mine and in February/April 1979 in the cases of Anangpur and Pali Mines respectively prohibiting employment of persons in these mines. Prosecution cases have also been instituted against the managements of these three Bajri mines by Directorate General of Mines Safety for working the mines in contravention of the prohibitory orders. At present 9 cases are pending against them in the courts.

3. The attention of the State Government was drawn in July, 1982 to the fact that the working of the mines in Faridabad District was unsatisfactory and the State Government was also advised that immediate action should be taken against the leases to ensure working of the mines in safe and systematic manner. According to the information received from the State Government notices for terminating the leases of these mines have been issued.

श्री राम विलास पासवान : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सही स्थिति रखी है। इन्होंने बताया है कि खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा किए गये निरीक्षण से प्रकट हुआ है कि इन खानों की दशा संतोष जनक नहीं है। मंत्री महोदय ने अपने बयान में सारी चीजें रखने की कोशिश की है।

ग्रापने कहा कि खान सुरक्षा महा निदेशालय कहता है कि यहां सेफ्टी नहीं है, इल्लीगल है। लेकिन वहां क्या हो रहा है। ग्रभी

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने बताया है। दिल्ली और हरियाणा का बार्डर लगा हुआ है और भाटी गांव दोनों के बीच में है। बीच में कोई दीवार नहीं है। 1980 में जग-मोहन जी ने कहा था कि मैं सब बन्द कर रहा हूं। क्या हो रहा है ? खान बन्द है लेकिन रात को लालटेन लेकर खान चालू करवाई जाती है। दूसरी तरफ हरियाणा के लिए भी एक ही डायरेक्टर है और दिल्ली के लिए भी वही डायरेक्टर है दिल्ली में बन्द है लेकिन अधिकारियों और नेताओं की सांठगांठ से हरियाणा में खानें चालू हैं। पाटिल जी की सांठगांठ शायद इसमें नहीं होगी। आपने 1982 का हवाला दिया है, 1976, 1975 का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि प्राइवेट माइनिंग बन्द कर दी जायेगी और सरकार इसको अपने हाथ में ले लेगी। इसके बावजूद चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई पावरफुल हाथ है।

मेरे पास इसके संबंध में दो रिपोर्ट्स है। एक रिपोर्ट श्री एस कुमार, डायरेक्टर आफ माइन सेफ्टी की है और दूसरी पी यू सी एल रिपोर्ट आन भाटी माइन्स है। मैं समझता हूं कि ये दोनों रिपोर्ट्स माननीय मंत्री महोदय तक पहुंच गई होंगी। यदि न पहुंची हों तो मैं उनको कापी दे सकता हूं। आपकी इजाजत से मैं सभापटल पर रख सकता हूं। मैं इन दोनों रिपोर्ट्स का जिक्र इस लिए कर रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अपने बयान में इस बात को कुबूल किया है।

12.17 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER : in the Chair.

मैं जानना चाहता हूं कि जब एक ही विभाग है खान सुरक्षा महा निदेशालय तब यह गलत काम कैसे हो रहा है। डी एस डी सी बराबर कहता है कि यह गलत काम है, इल्लीगल है, सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। सारी की सारी रिपोर्ट खिलाफ जाती हैं इसके बावजूद यह गलत काम किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इल्लीगल माइन्स चल रही हैं। इनकी संख्या 300 है। निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10 फीट की सीढ़ी बनाकर नीचे-ऊपर जा सकते हैं। हो क्या रहा है कि 300 फीट, कहीं 200 फीट नीचे जाते हैं। एक तरफ दिल्ला माइन्स में भुखमरा की स्थिति चल रही है। और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष एक करोड़ का घाटा इसमें हो रहा है। एक तरफ दिल्ली एरिया में बन्द की हुई हैं और उधर हरियाणा की तरफ खुली हुई हैं। दोनों को बद कर के ठीक तरह से चलाने की कोशिश नहीं हो रही है।

1954 से ये खानें चल रहीं हैं। 1975 में इसको डी एस आई डी सी ने एक्वायर किया। उसके पहले तक 200 मौतें हो चुकी थीं। एक्वायर करने के बावजूद भी बड़े लोगों और रूलिंग पार्टी के लोगों की सांठ-गांठ से प्राइवेट लोगों को ठेका दिया जाता रहा। 1980 में लेफ्टिनेंट गर्वनर श्री जगमोहन ने कहा था कि इसको हम खुद चलाएंगे। इसमें 10-12 हजार मजदूर काम पर हैं।

मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि 10 जनवरी को राष्ट्रीय खान मजदूर संघ की ओर से मजदूरों की लाशों को लेकर हम श्रम मंत्री के यहां पहुंचे थे। उस समय श्रम राज्य मंत्री मोहसिना किदवई थीं। उन्होंने घोषणा की थी,

आश्वासन दिया था कि शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेंगे और इस तरह से लोगों को मौत से खेलने की इजाजत नही दी जायेगी।

नतीजा यह हुआ कि 13 मौतें दुबारा हुइ और इसी प्रकार 24 जनवरी को पांच मौतें और हुयीं। उसके बाद प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर लाश को ले जाया गया और पाटिल साहब भी वहां मौजूद थे। आपने कहा था कि जुडीशियल इन्क्वायरी होगी और इल्लीगल माइन्स बन्द कर दी जाएगी। ऐसा एस्योरेंश आपने दिया था। 15 दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री देश-पाण्डे की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी बनायी थी। लेकिन आपका डी. एस. आइ. डी. सी को आपरेट नहीं कर रहा है। जनरल मैनेजर वोहरा और श्री टंडन जो वकील हैं, उन सबकी सांठ-गांठ है। वे कमीशन के सामने स्टेटमेन्ट नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से कमीशन अपना काम करने में लाचार है। देश के दूसरे भागों की समस्याएं अलग हैं। लेकिन जहां प्राइमिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर हैं और जहां सारा का सारा प्रशासन कार्य कर रहा है, उसकी बगल में ईस तहर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। मजदूरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते है। एक रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"It was also mentioned that the Mineral Division of DSIDC was earning revenue of Rs. 15 lakhs per month by way of levy charged from the purchaser. A portion of this revenue could be spent on removing overburden of DSIDC in the interest of safety of workers."

इस रिपोर्ट में आगे यह लिखा है।

"Since the management failed to rectify the defects within the stipulated period, vide letter No. 4648. dated 1.10.82, an order Section 22 (1A) of the Mines Act, 1952 was issued prohibiting normal employment of persons in the mine.

Thus, prohibitory orders were issued for all the three mines."

इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर : ठेकेदारों के खिलाफ भी बोलो।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले भी कह दिया है और अब फिर कह रहा हूं कि कोई प्राइवेट माइन्स नहीं चलती है। सरकार ने 1975 में अपने हाथ में ले ली थी, इसके बाद इल्लीगल करार दिया गया है। उसके बावजूद भी चल रही हैं और जहां दिल्ली के इलाके में बंद हैं वहां लालटेन जला कर काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार की नोलेज में नहीं है ? सरकार की नोलेज में है। मंत्री महोदय ने भी इन सब बातों को कबूल कर लिया है। में कहना चाहता हूं कि आपका एक विंग कोई आर्डर निकालता है और दूसरा उसका खुल्लम-खुल्ला विरोध करता है। क्या सरकार इस बात को महसूस नही कर रही है और यदि हां तो सरकार इतनी कमजोर क्यों है ? जब सरकार कहती है कि कार्यवाही हो रही है। तो क्या कार्यवाही हो रही है ? कोर्ट में मामला चला जायेगा तो सरकार खानों को अपने कब्जे में लेकर ठीक से क्यों नहीं चला पा रही है ? जब डेढ़ करोड़ से ज्यादा की इन्कम हो रही है, फिर भी आप ठीक ले दोनों माइन्स को नहीं चला पा रहे हैं। फरीदाबाद के क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली खान है, वहां हैल्थ के दृष्टिकोण से बहुत खराब हालत है। जो मजदूर काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन कोई आदमी वहां चार-पांच दिन तक रह जायेगा तो सब बीमारियों से ग्रसित हो

जायेगा। मैं मंत्री महोदय से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। जब डी. एस. आइ. डी. सी. ने 1975 में खानों को अपने हाथ में ले लिया था तो फिर क्यों मेटैलीफ़रस माइन्स रूल्स की धारा 106 और अन्य सुरक्षा प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंगन किया जा रहा है। जो भी मौत हुई हैं इनको आप मौत समझते हैं या हत्या? मैं समजता हूं कि ये मजदूरों की हत्या है। क्या डी. एस. आइ. डी. सी. के अधिकारी या जो भी इसके लिये जिम्मेदार हों उनके खिलाफ धारा- 302 का मुकदमा चलाया जा रहा है या नहीं?

अभी तक उनके खिलाफ कौन-कौन सा मुकदमा चला है। नहीं चलाया गया है तो भविष्य में अगर इस तरह की मौत होगी तो उनके खिलाफ क्या दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा?

जिन की मौत हुई है, उनमें से कितनों को कानूनी मुआवजा दिया गया है? मेरी जानकारी के अनुसार जब हल्ला मचाया जाता है, तो लेफ्टीनेन्ट गेर्बनर अपने फंड से 5, 5 हजार रुपये दे देते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनको कानूनी मुआवजा दिया गया है या नहीं? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है?

सारे देश में इस तरह की वात हो रही हैं। मंत्री कहोदय बमायें कि पूरे देश में कितनी घटनाएं हुई हैं? पूरे देश में कितनी खानें हैं जो असुरक्षित और इल-लीगल हैं। जो इल-लीगल घोषिय हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वहां पर काम हो रहा है, उनके बारे में सरकार क्या पग उठा रही है? क्या उनको इमीजिएट बन्द किया जायेगा? क्या सरकार पूरी सेफ्टी के साथ, मजदूरों के जीवन भी ध्यान में रखकर उन माइन्स को चलाएगी? यदि नहीं चला पा रही है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? आज यक सरकार ने कितने अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की है?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): The information sought by the Hon. Member in the call Attention Notice is with regard to Bhatti-Bajri mines in Delhi.

But the discussion now raised is with regard to the accidents that have occurred in Mangar and other mines which are in Faridabad district in Haryana.

The hon. Member wants to know something about Bhatti mines in Delhi. Hon. Speaker has already given a ruling that "If they want to disscuss about the working conditions in Bhatti mines and the action taken in order to make those mines safe, then let them put a separate question or let them raise a Call Attention." And if the Hon. Speaker admits it, I am prepared to make a statement and also whatever information the Hon. Member wants, I am prepared to furnish.

In fact, with regard to Bhatti Bajari mines, I have SUO MOTU made a statement in this House and I will not hesitate to make a statement once again if the Hon. Members want.

But to know anything about Mangar mines and whether any accidents have occurred, let the Hon. Members put questions. I am in a position to answer.

If the Hon. Members want to know about Bhatti mines, today I have not come prepared about Bhatti mines because that is not the subject matter of the Call Attention.

श्री रामविलास पासवान : मैं गवर्नमैंट के स्टेटमैंट के लिये बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं हूं, हमको स्टेटमैंट चाहिए भी नहीं। हमको तो यैस चाहिये। आप स्टेटमैंट मत दीजिये, लेकिन कुछ कीजिये।

लगता है कि मंत्री महोदय कम हिन्दी समझते हैं। इन्होंने ट्रांस्लेटर को रखा नहीं है।

मैंने जानना चाहा कि हरयाणा के क्षेत्र में जो माइन्स वहां एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं ? वहां इस लिये एक्सीडेंट्स होते हैं कि दिल्ली एरिया में माइन्स बन्द हैं, उनको इल-लीगल करार दे दिया है। जो यहां के बेकार मजदूर हैं, वह वहां चले गये हैं और वहां रात में लालटैन जलाकर काम करते हैं इसलिए वहां रात को एक्सीडेंट्स होते हैं।

हरयाणा के क्षेत्र में इस तरह के 200 माइन्स हैं जिसके बारे में डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि 10, 10 फीट सीढ़ी बनाकर नीचे जाओ, लेकिन वहां मजदूरों को 200 और 300 फीट नीचे जाकर काम करना पड़ता है। वहां रश हो जाता है, ओवरलोड होते ही एक्सीडेंट हो जाता है। हरयाणा में चल रही माइन्स अन-सेफ़ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हरयाणा और फरीदाबाद में जो माइन्स चल रही हैं, क्या सेफ्टी के दृष्टि-कोण से वह ठीक है ? यदि ठीक नहीं हैं, तो मन्त्री जी बैठकर सिर क्या हिला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : हिलाने के लिए सिर ही है और क्या करें ?

श्री राम विलास पासवान : जब सेफ्टी की दृष्टि से वह ठीक नहीं है तो आप उनको बन्द कीजिए; सेफ्टी के दृष्टिकोण से बनाइये। जुडिशियल इन्क्वायरी ने क्या रोक रखा है कि सेफ्टी के तरीके से ठीक मत कीजिये ?

वह घटना की एनक्वायरी कर रहा है। मंत्री महोदय दिल्ली की माइन्ज में सुरक्षा-व्यवस्था को ठीक कराएं। मैंने पूछा है कि सरकार की जानकारी में पूरे देश में ऐसी कितनी माइन्ज हैं, जो सेफ्टी की दृष्टि से सही नहीं है और सरकार उनको ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार ने जिन माइन्ज को अनसेफ़ करार दिया हैं, यदि वहां पर मौतें होती हैं, तो उनके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ़ वह क्या कार्यवाही करती है और आज तक सरकार ने कितने लोगों को कानूनी तरीके से मुआवजा दिला दिया है ?

SHRI VEERENDRA PATIL : I am sorry that the hon. Member...

श्री एस सत्यनारायण राव (करीमनगर) : माननीय सदस्य ने हिंदी में प्रश्न किया है। मंत्री महोदय उन्हें हिंदी में उत्तर दें।

श्री विरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने पहले तो पूछा भट्टी माइन्ज़ के बारे में पूछना था, तो वह भट्टी माइन्ज़ के बारे में अगर उन्होंने भट्टी माइन्ज के बारे दूसरा कालिंग एटेंशन नोटिस भेजते या इसी कालिंग एटेन्शन नोटिस में भट्टी माइन्ज़ के बारे में पूछते। इस कालिंग एटेंशन नोटिस में कहा गया है :—

> "...to call the attention of the Minister of Labour and Rehabilitation to the reported death of three more labourers in Bhatti mines area near Delhi..."

ये डेथ्स माइंज़ भट्टी में नहीं हुइ हैं। डायरेक्टर-जैनेरल आफ़ माइंज़ सेफ्टी ने कहा है कि ये डेथ्स फ़रीदाबाद की माइन्ज़ में हुई हैं। इसलिए मैंने उसी के बारे में माननीय सदस्य को इनफर्मेशन दी हैं। अगर माननीय सदस्य डेथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि भट्टी माइंज़ बिल्कुल बंद है, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Give him some reply because he talked for about half an hour. Have some mercy on him.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य को भट्टी माइन्ज़ के बारे में जो भी जानकारी

चाहिये, वह मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर वह मेहरबानी करके भट्टी माइन्ज़ के बारे में एक और कालिंग एटेंशन नोटिस दें। जैसा कि मैंने बताया है, भट्टी माइन्ज़ बंद हैं और वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। भट्टी माइंज़ में जो हज़ारों लोग काम करते थे, बेरोजगार होने की वजह से वे हरियाणा की तीन माइंज़—अनंगपुर, पाली और मांगर में काम कर रहे हैं, जहां पर माइन्ज़ का काम चालू है। भट्टी माइन्ज़ में डी एस आई डी सी काम कर रही थी कंट्रेक्टर के ज़रिये। हरियाणा गवर्नमेंट ने इन तीन माइन्ज़ को लीज़ कर दिया है और वहां पर लीज़-होल्डर्ज काम कर रहे हैं। डायरेक्टर जैनेरल आफ़ माइंज़ सेफ्टी की इन्सपैक्शन के बाद भट्टी माइन्ज़ और ये तीन माइन्ज डैन्जरस करार दी गई है। मैंने अपने स्टेटमैंट में साफ तौर पर कहा है कि डायरेक्टर जैनेरल आफ माइंज़ सेफ्टी के अनुसार ये तीनों माइन्ज़ अनसेफ़ माइंज हैं और इसलिये वहां पर कोई माइनिंग आपरेशन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जैनरल आफ़ माइन्ज़ सेफ्टी को माइन्ज़ ऐक्ट के सेक्शन 22 के तहत जो अख्तियारात हैं, उनके मुताबिक उन्होंने प्राहिबिटरी आर्डर्ज निकाले हैं और माइन-ओनर्ज को कहा है कि जब तक ये माइन्ज़ सेफ़ नहीं होतीं, तब तक आपको यह काम नहीं करना चाहिए। उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।

जब उन्होने कोई ऐक्सन नहीं लिया और वैसे ही माइन्स को आपरेट करते रहे तो माइन्स ऐक्ट की तहत डायरेक्टर जनरल, माइन्स सेफ्टी को उनका प्रोज़ीक्यूशन करने का अधिकार हो गया। उन्होंने प्राज़ीक्यूशन भी किया है। मैंने बताया है मांगर बाजरी माइन्ज में चार प्राजीक्यूशन अबतक हुए हैं। फरवरी. 1980 में माइन्स ओनर्स के खिलाफ प्राजीक्यूशन किया है, मई 1980 में प्राजीक्यूशन हुआ है। जुलाई, 1982 में प्राज़ीक्यूशन हुआ है और फरवरी 1983 में प्राजीक्यूशन हुआ है। पाली माइन्ज के बारे में भी मेरे पास इंफरमेशन है। आनन्दपुर बाजरी माइन्स में भी प्राजीक्यूशन किया गया है। 15 प्राज़ीक्यूशन केसेज़ हमारे डायरेक्टर जनरल, माइन्ज सेफ्टी ने किये हैं और 15 प्राजीक्यूशन्स में समझता हूं अभी 9 प्रजीक्यूशन्स पेंडिंग हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। माइन्ज ऐक्ट के सेक्शन (22) की तहत डायरेक्टर जनरल, माइन्ज सेफ्टी प्रोहिबिटरी आर्डर निकाल सकते हैं। और सेक्शन (75) के अन्तर्गत प्राज़ीक्यूट कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वे फिज़िकली पुलिस ले जा कर माइन्ज को बन्द नहीं कर सकते हैं। माइंज को बन्द करने के पूरे अख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, उन्हीं को माइन्ज बन्द करनी चाहिए। जब भी डायरेक्टर जनरल ने इंस्पेक्शन करके प्रोहिबिटरी आर्डर्स निकाले हैं, उसकी कापी हरयाणा गवर्नमेंट के पास भी भेजी है लेकिन मिनरल कंसेशन रूल्स में एक लैकुना रह गया है और वह यह है कि माइन्स की सेफ्टी के लिए जो मेज़र्स माइन ओनर्स को लेने चाहिये, वह अगर वे नहीं लेते हैं और माइन्स अनसेफ हो जाती हैं, तो माइनिंग लीज़ को कैंसिल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। जो लैकुना है वह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जिन कंडीशन्स पर कांट्रैक्ट दिया जाता है और जो मिनरल कंसेशन रूल्स हैं, जो सेन्ट्रल रूल्स हैं वह उन्होंने एडाप्ट किया है, उसमें यह नहीं है कि माइंस अगर अनसेफ हैं, तो उसकी बिना पर स्टेट गवर्नमेंट लीज़ की कैंसिल कर कसती है या टर्मिनेट कर सकती है। मैंने सुना है कि माइनिंग मिनिस्ट्री वाले इसको अमेन्ड करने की बात सोच रहे हैं। उनको

हमने बार-बार लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी हमारे पास हैं। माइंस सेफ्टी आफिसर्स ने 21-2-79 को हरयाणा गवर्नमेंट को लिखा, 13-3-80 को लिखा, 11-9-80 को लिखा, 23-9-82 को लिखा, 30-9-82 को लिखा, 12-10-82 को लिखा, 11-2-83 को लिखा और 11-3-83 को लिखा। यह तो माइंस सेफ्टी के आफीसर्स ने हरयाणा गवर्नमेंट को लिखा कि यह माइंस अनसेफ हैं, ऐक्शन लेकर इनको सेफ बनाया जाए और हमने जो प्रोहिबिटरी आर्डर निकाला है उसकी एक कापी आपके पास भेजी जा रही है। यह उन्होंने उसमें कहा।

इसी तरह से मेरे प्रेडेसेसर, श्री भागवत झा आलाद साहब ने 13 जुलाई, 1982 को चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा था जिसकी कापी मेरे पास है। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है :

It would be inadvisable to press the Mines to be worked in total disregard of the safety of the workers. I shall therefore be grateful if you can consider cancelling the concerned leases so that the working of these mines in utter disregard for human safety can be avoided.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : If the rules do not permit cancellation how can the former Minister make that suggestion ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उसमें एक एंबिग्युटी है।

27 (1) (F) reads :

'Unless the State Government for sufficient cause permits otherwise, the lessee shall commence mining operations within one year from the date of execution of the lease and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workman like manner.

बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंटरप्रेट किया है कि वर्शमैन लाइन मैनर का मतलब यह निकलता है कि माइंस-ओनर को जो मेथड्स मिनरल्स माइंस ऐक्ट की तहत सेफ्टी के लिये लेने चाहिए वह इस तरह से लेने चाहिए।

उस तरह से लेना चाहिए। इस इन्टरप्रिटेशन से हाईकोर्ट में जा कर चैलेंज किया है मुझे पता नही है, मालुम करना है, कुछ माइन्स, माइनिंग मिनरल्स के तहत आती हैं। सिलिका सैंड मेजर मिनरल है। मेजर मिनरल को रूल्स के तहत लीज़ देनी पड़ती है। माइनर मिनरल्स के लिये उनके पास अलग रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद माइनर मिनरल्स के रूल्स फ्रेम करती है, उनको यह अख्तियारात है। माइनर मिनरल्स के तहत सुना है कि एक क्लाज़ बढ़ी है। माइन्स सेफ्टी प्रोवीजन की जो वायोलेट करता है, उस बेसिस पर लीज को कैन्सिल कर सकते हैं, टरमिनेट कर सकते हैं, उस रूल के तहत उनको दो महीने का नोटिस देना पड़ेगा, टरमिनेशन के लिए। मैं साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग लिखते जा रहे थे माइन्स एक्ट के तहत, इस से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्सपेंक्शन होता है। उस के बाद जो डिफैक्ट्स हैं; उनको माइन ओनर की नजर में ला दिया जाता है। इसके वाद कहा जाता है कि आप इन डिफैक्ट्स को सुधारो। यदि दूर किया जाता है तो फिर सैक्शन 22 के तहत आर्डर निकालता है। डायरेक्टर जनरल ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया है और उसके वाद भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी भी वहां पर काम हो रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने लीज़ को कैन्सिल नहीं किया हैं। टरमिनेशन के लिए नोटिस दिया है। नोंटिस देने के वाद भी कैंसिलेशन वगैरह के लिए कार्यवाही करनी

पड़ेगी । कैंसिल करने बाद अगर लीज होल्डर कोर्ट में स्टे-आर्डर ले आता है, तो उस स्टे-आर्डर के बेसेस पर काम करना शुरू कर देगा । यह कानूनी मुश्किलात है । इनको दूर करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है । माइन्स में अभी भी काम होता है, पहले तो यह देखना चाहिए कि माइन्स की सेफ्टी होनी चाहिए । अगर कोई लीज़ होल्डर माइन्स को अनसेफ बनाकर माइंस को चलाना चाहता है, तो उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए । लेकिन आज के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है । रूल्स को इस तरह बदल दिया जाए कि पावर्स हासिल हो । इधर हमने माईन मिनिस्ट्री को कहा है और वह भी इस तरह की एम्बीग्यूटी को निकालने की कोशिश कर रही है और अमेंड करने की कोशिश कर रही है । जब यह अमेंड हो जायेगा, तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरे अख्तियारात मिलेंगे और हम भी कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियारात हैं कि वह इस के तहत लीज को कैंसिल कर सकती है । उसके बाद सुधार हो सकता है । इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही है और यह बिचाराधीन है ।

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar): On a point of order, Sir. With your permission, I want to say a few words, which would help the Minister as also the workers. In fact, the DSIDC people have misled the Minister very dadly. I have personally visited the Bhatti mines. There is no contract with the DSIDC. DSIDC people are not mining themselves. They are not only charges Rs. 30/– per truck, which passes from there. They just issue the receipt for one truck, and that truck may pass from there any number of times. Anybody can go, there and start mining. Even you can go, Sir, to the Bhatti mines and start mining tommorrw. There is a big racket. As I said, DSIDC people have not properly informed you; they are not mining themselves. They are only standing on the roadside and every time a truck passes, they charge Rs. 30/— and the same receipt is shown four times or more. You should make an enquiry from them. Why have they given you the wrong information ? DSIDC people are not mining themselves. The Government gets Rs. 30/— per truck and the rest goes information else's pocket.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बयान दिया है तथा उनका कहना है कि इस समय चर्चा केवल फरीदाबाद जिले की खदानों के बारे में होनी चाहिए, भट्टी खदानों के बारे में नहीं लेकिन जहां तक खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हिफाजत का सवाल है, वह सवाल समान रूप का है । दिल्ली में जहां केन्द्रीय सरकार है, भट्टी माइन्ज में काम करने वाले मजदूरों की हिफ़ाजत नहीं हो सकी । 45 दिनों में 15 से ज्यादा मजदूर मरे, खदान बंद करनी पड़ी, जुडीशियल (अदालती) जांच हो रही है ।

जैसा कि मेरे मित्र राम विलास पासवान जी ने कहा और मंत्री महोदय ने स्वीकार किया - बेकार मजदूर भट्टी माइन्ज बंद होने के बाद कहां जांय ? वे पड़ोस की खदानों में पहुंच गए । वहां सुरक्षा का इन्तजाम नहीं हैं, खदानें 200-300 फुट गहरी हैं । मजदूर कैसे जायेंगे, उनके पास जूते नहीं हैं, सिर के लिए हैलमेट नहीं है, सीढ़ी 10 फुट तक है जो पर्याप्त नहीं है । क्या किसी कानून के अंतर्गत ठेकेदारों को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे मजदूरों की हिफाजत का पूरा इंतजाम करें ? कब तक लोग मरते रहेंगे, ज़िन्दा मिट्टी में दफ़न होते रहेंगे ? कब तक केन्द्र के मंत्री महोदय अपनी असहायता प्रकट करके हरियाणा सरकार के पापों पर परदा डालते रहेंगे ? कब तक दिल्ली में जो डवेलपमेंट कारपोरेशन

है उसके अधिकारियों के निकम्मेपन को छिपाते रहेंगे ?

दिल्ली की भट्टी माइंज ले ली गई; मगर कारपोरेशन खुद खदानों में से सामान निकालने का काम नहीं कर रहा है। उस ने लीज़ पर दे दिया, फिर से ठेकेदार तस्वीर में आ गये । ठेकेदार एक ओर मज़दूरों का शोषण करते हैं, दूसरी ओर रायल्टी बचाते हैं। सेल्ज़टैक्स बचाते हैं। सरकारी अफसर उनके साथ मिले हुए हैं। मज़दूर मर रहे हैं- यह सिलसिला कब तक चलेगा ?

मंत्री महोदय ने माना है - तीन नहीं मरे हैं, दो मरे हैं। क्या दो का मरना काफी नही है ? इन दो को कितना कम्पेंन्सेशन दिया गया ? क्या वर्कमैन कम्पेंन्सेशन एक्ट में उनको 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक कम्पेन्सेशन देना आवश्यक नहीं है ? क्या यह सच है कि मजदूरों को 5 हजार रुपया कम्पेन्सेशन दे कर छोड़ दिया जाता है ? मजदूरों के गधे भी मरते हैं। आज कल गधे की कीमत 5-6 हजार रुपये हैं...

श्री वीरेन्द्र जैन (बाड़मेर : यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप को गधों के बारे में ज्यादा मालूम हो तो मैं अपने को सही करने के लिये तैयार हूं। मजदूर जब भूखा पेट काम करने के लिये आता है तो उसे ठेकेदारों से कर्जा लेना पड़ता है उसे रहने के लिए मकान चाहिये, इस लिये झोंपड़ी बनानी पड़ती है। उस को औजारों की जरूरत होती है जिससे वह बजरी और सिलिका निकालता है, उसे खाने का इंतजाम करना पड़ता है, इन सब कामों के लिए जो कर्जा वह लेता है उसे वहां की आमदनी से दे नहीं पाता है, जिसके कारण वह ठेकेदारों का गुलाम हो जाता है, बन्धुआ मजदूर हो जाता है और इस तरह वह अपनी जिंदगी के साथ खेलता है।

मैं यह जानना चाहता हूं- क्या सेफटी के सवाल को आप अलग करके नहीं देख सकते। चाहे दिल्ली हो हरियाणा हो खदानों की सेफटी का पूरा इन्तजाम किया जाना चाहिये। वहां मजदूरों का कोई रजिस्टर नहीं हैं। मजदूर नियमित नहीं किया जाते। एक साल के बाद मजदूर स्थायी होना चाहिये। मजदूरों के इलाज का प्रबन्ध होना चाहिये। मजदूरों के निवास का प्रबन्ध होना चाहिये। डी.एस.आई.डी सी. रुपया इकट्ठा कर रहा, ठेकेदार लोग मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन मजदूर एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं- क्या हरियाणा की सरकार को इस तरह से सस्ता छोड़ा जा सकता है ? क्या हरियाणा के साथ आप ने कोई उच्चस्तरीय वार्ता की है ? अभी आपका कहना था कि दो महीने तक ये खदानें और चलेंगी। इसका मतलब है कि लोग इसी तरह से मरते जायेंगे। मंत्री महोदय ने रूल्ज की अभी जो व्यवस्था दी है। उस के हिसाब से कैनिन्सलेशन नहीं हो सकता। लोग अदालतों में जायेंगे।

सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना पड़ेगा और अगर आवश्यकता हो तो नियम भी बदले जा सकते हैं। मगर मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, भाटीं माइन्स की अदालती जाच हो रही है, दुर्घटना की अदालती जांच हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि भाटी माइन्स के बारे में सवाल नहीं उठ सकता, इस लिये कि जांच हो रही है। मगर भाटी माइन्स में गोयमाल है आप जरा पता लगाइये कि वहां कितने ट्रक जाते हैं। क्या इस बात की गारन्टी है कि 15 सौ ट्रक जाएं

ग्रौर लिखे जाएं 1 हजार ट्रक और जो रायल्टी है, जो सेल्स टैक्स हैं उसका बटवारा ठेंकेदारों ग्रौर ग्रफसरों में हो जाए। देश के दूर कोनों में होने वाली घटनाग्रों पर यह सदन गंभीर चिन्ता प्रकट करता है। लेकिन दिल्ली और दिल्ली के पास यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। अब इस सिलसिले को खत्म करने का वक्त ग्रा गया है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल हरियाणा सरकार पर जिम्मेदारी डालने से ग्राप अपने दायित्व से नहीं बच सकते ' ग्रगर ग्रापको अधिक ग्रधिकार चाहिये तो यह सदन अधिक अधिकार देने को तैयार है। अगर खदानें सरकार ले लेती है तो फिर सरकार ठेकेदारों को क्यों लाती है ? दिल्ली में ठेकेदारों को मैदान में क्यों लायी है ? हरियाणा सरकार को क्या यह कहा गया है कि इस संबंध में वह कड़ी कार्यवाही करे ? क्या हरियाणा सरकार के मंत्री भी ठेकेदारों से मिले हुए हैं ग्रौर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, सारा मामला बड़ा डिस्गस्टिग है। मेरे पास शब्द नही हैं कि किन शब्दों में मैं, जिस तरह से मजदूर मर रहे हैं, उनकी वेदना और व्यथा प्रकट करूं।

मंत्री महोदय, केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शब्दावली का सहारा ले कर केवल हरियाणा तक चर्चा को सीमित न करें। यह मजदूरों की सुरक्षा का मामला है ग्रौर श्रम मंत्री के नाते ग्राप सुरक्षा के सवाल से गंभीर रूप से, गहराई से जुड़े हुए हैं। ग्राप क्या सदन को यह ग्राश्वासन देंगे कि भविष्य में किसी भी खदान में, किसी भी मजदूर को मरने नहीं दिया जायेगा। जिस तरह से भट्टी माइन्स में मजदूर मरे हैं और ग्रब फरीदाबाद की खदानों में मरे हैं इस तरह से मरने नहीं दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मानयवर, ग्रभी माननीय वाजपेयी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये, उनसे मैं सहमत हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि इन माइन्स में, इन खदानों में हालत ग्रच्छी है, सब ठीक-ठाक है। मैंने यह कभी नहीं कहा। श्री राम विलास जी ने मुझे बधाई दी, इसलिए कि मैंने ग्रपने स्टेटमेंट में भी बताया था कि यहां की हालत ग्रच्छी नहीं है। इसीलिये डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ग्राफ़ माइन्स एक्ट के तहत जो भी कार्यवाही कर सकते हैं, उसको उन्होंने किया। उन्होने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, यह तो नहीं कह सकता। उनको जो भी करना था, उसको उन्होंने किया है।

ग्राज हम भाटी माइन्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर भाटी माइन्स के बारे में ग्राप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं जुडीशियल इंक्वायरी की ग्राड़ ले कर यह नहीं कहूंगा कि आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। ग्राप जब भी चर्चा करना चाहते हैं, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री ग्रटल विहारी वाजपेयी : सेफ्टी आस्पेक्ट इज कामन।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसी लिए तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ग्राज वह विषय नहीं है। ग्रगर ग्राप उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं चर्चा कर सकता हूं।

माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी जी ने यह पूछा कि क्या यह सही है, भाटी माइन्स में कंट्रेक्टर काम कर रहे है ? यह सही है कि भाटी माइन्स में कंट्रेक्टर काम कर रहे हैं। यह मुझे मालुम है कि डी०एस०ग्राई०डी०सी० लेस्सी है, माइन आनर है। लेकिन जो काम वहां हो रहा हैं, वह कंट्रेक्टर कर रहे हैं।

डी.एस.आई.डी.सी. वहां पर रायल्टी क्लेक्ट कर रही है यह मैं मानता हूं। इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की है, डिस्कसन किया है। जो नये चीफ एक्जीक्युटिव काउंसलर आये हैं उनके साथ हमने चर्चा की है। अगर भाटी माइन्स के बारे में कोई चर्चा या डिस्कशन होता है तो मैं उसके लिव तैयार होकर आऊंगा और जो भी सवाल माननीय सदस्य पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा।

कुछ बातें माननीय सदस्य ने मुझ से पूछी हैं कंपंसेशन के बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि कंपंसेशन तो देना ही पड़ेगा। मैं भट्टी माइन्स के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन मांगर माइन्स में दो लोग मरे हैं। इसके पहले भी लोग मरे हैं। उनको वर्कमैंन कंपंसेशन एक्ट के तहत क्लेम डालना पड़ता है और उन्होंने डाला है। मेंरे पास इसको जानकारी है। 1982 में 10 क्लेम डाले गए थे जिसमें से 5 डिसपोज़ आफ हुए है और 5 बाकी हैं। जब भी कोई इन्सीडेंस होता है तो वर्कमैंन कंपंसेशन एक्ट के तहत कंपंसेशन देने की जवाबदारी फिक्स की गई है। यह जवाबदारी स्टेट गवर्ममेंट पर है। स्टेट गवर्नमेंट इसको देख रही है और जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्लेम्स डाले जा नहे हैं उन पर कार्यवाही ही रही है मैं समझता हूं कि कंपंसेशन मिल भी रहा होगा क्योंकि आज तक मेरे पास एसी कोई शिकायत तहीं आई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कंपंसेशन देने में देर होती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने आपको पढ़कर सुनाया है कि कितने क्लेम्स डाले गए है और कितने डिस्पोज आफ हुए हैं। कंपंसेशन कितना देना चाहिए और किसको देना चाहिए इस बात की ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होती है। इसमें थोड़ी-बहुत देर होती होगी। हम ऐसा कोई आर्डर नहीं निकाल सकते या स्टेट गवर्नमेंट या क्लेम कंपंसेशन कमिश्नर ऐसा आर्डर नहीं निकाल सकता कि एक महीने या दो महीने में तय किया जाए। इस तरह के डायरेक्टिव नहीं निकाल सकते। अनऊफिशियली बोल सकते हैं कि जितने क्लेम्स हैं उन पर जल्दी कार्यवाही की जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर रेहे हैं। मैंने अपनी पोजीशन साफ तौर पर बताई है। मैं मानता हूं कि रूल्स बीच में आ रहे हैं तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि भट्टी माइन्स फरीदावाद में हरियाणा गवर्नमेंट के माइन्स हैं। वहां पर माइन्स की हालत अच्छी नहीं है यह मैंने कह दिया है। इसके बारे में डायरेक्टर जनरल माइन्स ने एक्शन लिया है और कार्यवाही हो रही है लेकिन कैंसिल करने में कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। हरियाणा गवर्नमेंट जो लीज देती है। इसमें कंट्रेक्टर अपाएंट करने का सवाल नहीं है। उनको मिनरल कंसेशन रूल्स के तहत लीज देनी चाहिए। मिनरल कंसेशन रूल्स में लिखा हुआ है कि जब मिनरल्स की लीज देनी होगी तो कितनी मुद्दत के लिये देनी होगी और माइनर मिनरल्स के लिए कितनी मुद्दत के लिये लीज देनी होगी। यह स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में लिखा हुआ है। उस कानून के तहत लीज पर दी जा रही है। कोई कंट्रेक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक अपाएन्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो भी वहां पर लीज होल्डर हैं या लीजी हैं उनके लिए यह नियम है कि एक मरतबा लीज दे दी गई है तो लीज कैंसिल करने के लिए जो कंडीशन हैं वदकिस्मती से उनमें एक एंबीग्विटी

है। उसमें मिनरल कंसेशन रूल्स में, मिनरल कंशेशन एक्ट में, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि माइन ओनर, माइन सेफ्टी प्रावीजन का पालन नहीं करता है तो उस बेसिस पर लीज कैंसिल कर सकते हैं। मैंने सुना है और मेरे पास आया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में अमेंडमेंट किया है। उसमें उन्होंने एक क्लाज बढ़ाई है।

13.00 hrs.

The contractor shall abide by the provisions of the Mines Act, 1952, the Inter, State Migrant Workmen's Act, the rules and regulations formed there-under and also the provisions of other laws, booth Central and State, as are applicable to the workmen engaged in the mines and quarries.

इसके तहत उन्होंने रूल्स को अमेंडमेंट कर लिया है और इसमें टरमीनेशन का नोटिस भी है। माइन्स एन्ड मिनरल्स रूल्स में जो एम्बीग्युटी है उसको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री सोच रही है। जानकारी यह मिली है कि ये रूल्स जब अमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद लीज कैंसिल करने की कार्यवाही एपेक्टिव तौर से हो सकती है। दुर्भाग्य से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वे रुक जायेंगे ऐसी मुझे आशा है।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह लिखित में तो ठीक है लेकिन स्पिरिट में नहीं है। फिर भी यह संतोषप्रद दिखाई देता है। यह सवाल खदानों तक ही नहीं बल्कि सुरक्षा से भी संबंध रखता है। यह हिन्दुस्तान के सारे मजदूरों का प्रश्न है। जो आरगेनाइज्ड यानी इन्डस्ट्रीयल वर्कर्स हैं, वे अपनी आवाज को बुलन्द करके अपनी मांगों को मजूर करवा लेते हैं। लेकिन जो अन-आरगेनाइज्ड यानी एग्रीकल्चरल और माइन्स में काम करने वाले हैं, वे अपने अधिकारों को किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि दुहरी व्यवस्था चल रही है। एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार की व्यवस्था चल रही है अभी मंत्री जी ने कहा कि मांइन्स एण्ड मिनरल्स कंसेशन रूल्स में एक प्राविजन हैं कि वे किसी भी लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जोधपुर में लगभग पांच हजार पट्टियों की माइन्स हैं। वहां पर कुल 50 हजार के करीब मजदूर काम करते हैं। उनमें लगभग 25 हजार आदिवासी और हरिजन हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि एस०सी०एस०टी० के लोगों को रिजरवेशन के आधार पर काम दिया जाए। लेकिन उसके पास अधिकार नहीं हैं इस लिये कैंसिल करके ऊनको नहीं दिया जा सकता। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दुहरी नीति है।

मैं राजस्थान में लेबर मिनिस्टर रहा हूं। मुझे पता है जब भी कोई खानों की बात होती थी तो हमको यही कहना पढ़ता था कि माइन्स कमीश्नर या इन्सपैक्टर जा कर देखेंगे। इसका मतलब है वे जाते हो नहीं हैं और ना ही जाकर देखते हैं। अटल जी और पासवान जी ने भी सेफ्टी मेजर्स इवाल्व करने के लिए कहा है। यह श्रमिकों की रक्षा और उनके हितों का तथा मानवीयता का सवाल है इस बारे में राष्ट्रय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय और आइ०एल०ओ० स्तर पर भी विचार किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक दुहरी नीति खत्म नहीं होगीं तब तक मजदूरों का भला नहीं हो सकता। सरकार को आमदनी नहीं होगी और न ही लोगों को मुआवजा मिलेगा। कम्पनसेशन

ऐक्ट के मुताबिक भी कोई मुआवजा नहीं मिल पायेगा। मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए एक स्पेशल लेबर मिनिस्टर्स और माइन्स मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलाई जाए। उसमें यह फैसला कर दिया जाए माइन्स एण्ड मिनेरल्स रूल्स का अधिकार आपके पास रहेगा या उनके पास रहेगा। आपने कहा है कि क्वॉसी जुडीशियल की कैपेसिटी में लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को मुआबजा देने का अधिकार होगा लेकिन इसको देखने वाला नहीं है। इस लिए, मैं चाहता हूं कि यह दुहरी नीति नहीं होनी चाहिए जैसा कि केरोसीन की थी।

यह दोहरी नीति है, जैसे केरोसिन की है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये। यह मेरा मुख्य सुझाव है।

मंत्री जी ने बताया कि 15 प्रासीक्यूशन हुये हैं। आपके प्रासीक्यूशन बेमायने हो जाते हैं जब उनका रिजल्ट नहीं आता है।

Under which section were there prosecutions launched ? Whether they were launched under the Mines Safety Act or some other Act? Whether the Police was also allowed to prosecute them under some other section ?

अभी तक 9 मामले डिस्पोज आफ हुए हैं। 15 में क्या मिला, उसमें क्या सजा हुई ? यह बात आनी चाहिए। मगरी, आलमपुर, पाली की खानों के बारे में विस्तार पूर्वक बतायें कि किसको कितनी सजा हुई ?

Whether these mines were declared unsafe, if so, who started these mines subsequently ?

जैसे यहां अभी कहा गया था कि सेफ्टी मेजर्स में हैलमेट लगाना चाहिये, सीढ़ियां बनानी चाहिये। हैलमेट के साथ जो लाइट लगती है वह रहनी चाहिए, लेकिन क्या यह रखी जाती है ? उसको क्या कोई देखता है ?

क्या कोई इन्सपैक्टर या आफिसर्स इसके लिये रखे हैं, क्या कभी कैजुअल विजिट की जाती है ? इन गंभीर प्रश्नों पर जब तक कोई विचार नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं तो हार्ट पेशेन्ट हूं, कल मर सकता हूं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आने वाला है। क्योंकि पूंजीवादी लोग इन खानों के मालिक बने बैठे है, चाहे सोना हो, लोहा हो, अभ्रक हो, या कापर हो सारे इस दबे हुये धन के वे मालिक बन जाते हैं और गरीबों का शोषण होता है। इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

यहां माननीय सदस्यों को चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, उस पर दबाव डालना चाहिए कि इन कामों में जो श्रमिक लगे हुये हैं, उनको सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिये, उसमें उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिये। श्रमिक अपने जीवन को हथेली पर रखकर अपने जीवन के साथ खेलता है और जमीन से धन निकालता है और उसमें उसका हिस्सा, साझेदारी न हो यह ठीक नहीं है हमारे वृद्धिचन्द्र जैन बाड़मेर से आते है। ये जानते हैं कि जोधपुर में कितनी माइंस चल रही हैं जो इसके मालिक बने हुये हैं क्या यह धरती उनकी है ? एक तरफ आप जोत की जमीन दे रहे हैं, तो क्या आप इस जमीन का एलाटमैंट नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार ने एक कदम उठाया है लेकिन कमी यही है कि मिनरल कंसेशन रूल के अन्तर्गत है।

मै जनना चाहता हूं कि कितना मुआवजा दिया गया है, और किस किस धारा के अन्तर्गत

दिया गया है ? किस-किस एक्ट के अन्तर्गत उनका चालान हुआ है और आगे के लिये किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रीमलाइन करेंगे और स्ट्रेंदन करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य यह मालूम करना चाहते थे कि लीज होल्डर्स के बारे में कोर्ट किस कानून और सेक्शन के तहत कार्यवाही हुई है ? फरीदाबाद के कोर्ट में जो प्रासीक्यूशन हुए हैं, वह लीज होल्डर्स के खिलाफ सैक्शन 75 माइन्स एक्ट के अन्तर्गत हुए हैं। ये प्रासीक्यूशन्ज पुलिस नहीं करती, बल्कि डायरेक्टर जेनरल आफ़ माइन्ज सेफ्टी करते हैं - पार्टी और कम्पलेंटेंट वह होते हैं। जो लोग माइन्ज में मरते हैं, चाहे वह जोधपुर में हो, भट्टी में हो या हरियाणा की माइन्ज में हो, उनको वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत मुआवजा देना पड़ता है। उसमें एक प्रोसीजर है कि कितना मुआवजा देना चाहिए। ये सब बातें उसमें हैं। उन सब लोगों को प्रोसीजर के मुताबिक क्लेम दाखिल करना पड़ता है और उन्हें मुआवजा मिलया है।

माननीय सदस्य जानना चाते हैं कि अब तक कितना मुआवजा दिया गया है। उसके बारे में मुझे इस समय जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी खान के बारे में जानना चाहते हैं, जहां इस तरह के एक्सीडेंट में लोग मरे हैं. कि वहां पर कितने लोगों को मुआवजा मिला है और कितना मिला है, तो वह एक स्पैसिफ़िक सवाल करें। मैं वह इनफ़र्मेशन कलेक्ट कर के देने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अब तक जितने प्रासीक्यूशन्ज हुए हैं, उनका नतीजा क्या हुआ है। मांगर माइन के बारे में 4 प्रासीक्यूशन्ज हुए हैं जिनमें से दो कसिल में लोअर कोर्ट से एक्विटल हो गया है। हमने इस बारे में हाई कोर्ट में अपील की है, जो कि चल रही है। पाली बजरी माइन्ज में 7 प्रासीक्यूशन हुए हैं, जिनमें 2 प्रासीक्यूशन्ज में एक्विटल हो गया है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की है, और वह चल रही है। अनंगपुर बजरी माइन्ज में 4 प्राजीक्यूशन हुए हैं, जिनमें से दो 2 में एक्विटल हुआ है, जिसके खिलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की गई है। जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं, उनमें से कुछ पेंडिंग हैं और कुछ में एक्विटल हो गता है, जिनके खिलाफ़ हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है और वे अपीलें पैंडिंग हैं।

श्री भीखा भाई : अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, तो क्या सरकार वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट को एमेंड करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि इस सम्बंध में कोई कठिनाई है तो वह मुझे बताएं कि क्या कठिनाई है। मैं वह कठिनाई दूर करने की कोशिश करूंगा।

13.10 hrs.

Petition Re-ban on Cruelty to amimals

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में श्री राजमल जैन और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।